

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-03/विविध-7-63/2013

राँची, दिनांक :-

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय आदेश संख्या 6674 दिनांक 23.11.12 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100 पी० बी०-III ग्रेड पे रू० 7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम/ कार्यालय का नाम/ आई०डी० कोड/जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम०ए०सी०पी० योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी० बी०-III) एवं वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे रू०-7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री राजु रंजन प्रसाद/ जे०-4426/01.05.52 केन्द्रीय भंडार एवं शिविर प्रमंडल, चांडिल, सरायकेला खरसावाँ	01.04.73	01.09.08	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम०ए०सी०पी० के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक -

राँची, दिनांक -

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक -

राँची, दिनांक -

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, चांडिल कम्पलेक्स, जमशेदपुर/कार्यपालक अभियन्ता केन्द्रीय भंडार एवं शिविर प्रमंडल, चांडिल, सरायकेला खरसावाँ /संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/

(मनोज कुमार)

अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक -

6910

राँची, दिनांक -

21-11-13

प्रतिलिपि:-बायेडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची/वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्रबंधन)

21/11/13